

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र आटी

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. अनुदेवी पत्नि डूंगराराम 2. हमीराराम
पुत्र डूंगराराम 3. बाबूराम पुत्र डूंगराराम
4. चुनाराम पुत्र डूंगराराम 5. अर्जनराम
पुत्र डूंगराराम 6. पपूदेवी पत्नि
मोहनलाल जातियान मेघवाल
निवासीयान डाबला पाडा आटी तहसील
एवं जिला बाड़मेर।

1. सुमित्रा पत्नि छगनलाल जाति जटिया
निवासी जटियों का वास बाड़मेर 2.
कुम्पाराम पुत्र ताम्बलराम जाति मेघवाल
3. नाथूसिंह पुत्र पीरसिंह 4. मोहनसिंह
पुत्र पीरसिंह 5. धनसिंह पुत्र पीरसिंह
जातियान राजपूत निवासीयान डाबला
पाडा आटी 6. अमरसिंह पुत्र पदमसिंह
7. गोपसिंह पुत्र पदमसिंह जातियान
राजपूत निवासीयान इण्डारा आटी
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्
राजस्व आवेदन संख्या-106/2021 दिनांक-06.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा डाबला, पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाड़मेर के
खेत खसरा नम्बर 622/383 रकबा 18.00 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता
है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र
सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर
सीमांकन व पथरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक
07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अर्थात् एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की
जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/ 6523 - 6528

दिनांक- 06/12/2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी
अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आटी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीनी अनुदेवी पत्नि डूंगराराम वगैरा जाति मेघवाल निवासी-डाबला पाडा,
आटी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीनी सुमित्रा पत्नी छगनलाल वगैरा जाति जटिया/राजपूत निवासी
जटियों का वास/इण्डारा आटी तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर